यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मैनुअल प्र.सं. : 31/2022
जीसीएमएस : 2022/458

1. अर्जनराम पुत्र श्री अनीराम जाति मेघवाल साकिन 32 एमएल तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री अनीराम जाति मेघवाल साकिन 32 एमएल तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. पूर्णराम पुत्र श्री अनीराम जाति मेघवाल साकिन 32 एमएल तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. महेन्द्रपाल पुत्र श्री अनीराम जाति मेघवाल साकिन 32 एमएल तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. आदराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
2. कमलादेवी पुत्री श्री सन्तराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
3. कलावती पुत्री श्री सन्तराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
4. कृष्ण पुत्र श्री सन्तराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
5. गुड्डी पुत्री श्री सन्तराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
6. जोतराम पुत्र श्री बेगाराम जाति मेघवाल साकिन गंगूवाला सिखान तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. पूर्णराम पुत्र श्री सन्तराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
8. बनवारीलाल पुत्र श्री सन्तराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
9. मदनलाल पुत्र श्री सन्तराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
10. मानराम पुत्र श्री बेगाराम जाति मेघवाल साकिन गंगूवाला सिखान तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
11. रज्जो पुत्री श्री मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा। (विलोपित)
12. सुखराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
13. हरीराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा। (मृतक)

13/1. कौशल्यादेवी पत्नी श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

13/2. भजनलाल पुत्र श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

13/3. सरोज पुत्री श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

13/4. सुमित्रा पुत्री श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

13/5. ग्यारसी पुत्री श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रास

AnyScanner

13/6. शीशपाल पुत्र श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
13/7. सुमन पुत्री श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन निमला तह. ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
15. छेवीलाल पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति मेंघवाल साकिन 15एसडी ढ़ाणी तह. विजयनगर जिला अनूपगढ़।

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—26.08.2022

उपस्थित:—
1. श्री रणवीरसिंह बिश्नोई अधि. प्रार्थीगण।
2. श्री अवतारसिंह अधि. अप्राथी सं. 6—10।
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 2ता 5, 7 ता 9,11—12, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7 ।
4. श्री मनोजकुमार अधि. अप्राथी सं. 15।

—:निर्णय:— दिनांक 27.08.2024

01. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी जोत वाके चक 4 पीएस बी तह. रायसिंहनगर के मु.नं. 23 पं.नं. 144/274 के कि.नं. 17 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 9 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पास है आवेदगण को अपने खेत चक 4 पीएस बी के मु.नं. 23 में पहुच के लिए अप्राथीगण की भूमि वाके चक 4 पीएस बी के मु.नं. 26 के कि.नं. 5—6—15—16—25 में 2—2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है तथा आवेदगण के खेत मे पहुंच के लिए उक्त चाहा गया रास्ता ही सबसे सरल, सुगम एवं नजदीक है। इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 4 पीएस बी के मु.नं. 23 में पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की भूमि वाके चक 4 पीएस बी के मु.नं. 26 के कि.नं. 5—6—15—16—25 में 2—2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे। तदनुसार रास्ते में आई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिये जाने की कृपा करें।

02. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि.एडी नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 6—10 की तरफ से श्री अवतारसिंह बराड अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्य पर प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अप्रार्थीगण के पास बहुत छोटे—छोटे टुकड़ों में भूमि है अगर अप्रार्थी की भूमि से रास्ता स्वीकृत हो जाता है तो अप्रार्थीगण की भूमि ओर भी कम हो जावेगी, इसलिए प्रार्थीगण को किसी अन्य भूमि से रास्ता स्वीकृत किया जावे । अगर अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को बदले में भूमि दी जावे। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 15 की तरफ से श्री मनोजकुमार ने [illegible] मय इकबाल प्रार्थना पत्र जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया गया [illegible] प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो [illegible] नहीं है इकबाल प्रार्थना पत्र जवाब शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 5, 7 ता 9,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 11–12 को विलोपित किया गया।

03.तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/851 दिनांक 22.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण के नाम मुरतरफा खाता सं. 21 पं.नं. 144/274 मु.नं. 23 के कि.नं. 17 ता 25 कुल रकबा 2.277 है0 बारानी भूमि अर्जनराम–औमप्रकाश –पूर्णराम–महेन्द्रपाल पि. अनीराम 2252/2277 हि. गुगनराम पुत्र केशुराम 25/2277 हि. जाति मेघवाल साकिन 32 एमएल खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थी के नाम चक 4 पीएसबी के खाता सं. 36 पं.नं. 144/275 मु.नं. 26 के कि.नं. 1 ता 9–14/2 ता 17/1–24/2–25 कुल रकबा 3.289 है. बारानी भूमि आदराम पुत्र मनफूलराम आदि जाति मेघवाल साकिन निमला ऐलनाबाद के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है प्रार्थीगण ने चक 4 पीएसबी के मु.नं. 26 के कि.नं. 21 ता 25 में 3 पीएस से रायसिंहनगर डामर रोड से चक 4 पीएसबी के मु.नं. 26 के कि.नं. 5–6–15–16 प्रत्येक में 0.025 है. व कि.नं. 25 में 0.013 है. कुल 0.113 है. रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की है। उक्त रास्ता निकटतम दूरी पर है। इस रास्ते के अलावा इसी मु.नं. 26 के कि.नं. 1–10–11–20 प्रत्येक में 0.025 है. व कि.नं. 21 में 0.013 है. कुल 0.113 है. रास्ता का भी विकल्प दिया जा रहा है। उपरोक्त दोनों विकल्प निकटतम दूरी पर है। प्रार्थीगण को दोनों में से किसी एक रास्ता को स्वीकृत किया जाना उचित हैं। इन दोनों रास्तों के अलावा अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता नही है ।

04.बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी सं. 6–10 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पास बहुत कम भूमि है प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है अगर प्राथीगण को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ता मे आई भूमि के बदले भूमि दी जावे। अप्रार्थी सं. 15 ने इकबाल प्रार्थना पत्र जवाब में अंकित किया कि अगर प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।

05.हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर व, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि इसी चक 4 पीएसबी के मु.नं. 26 के कि.नं. 5–6–15–16 प्रत्येक में 0.025 है. कि.नं. 25 में 0.013 है. कुल 0.113 है. रास्ता दिया जाना उचित है। इसी रास्ते से अपनी भूमि में आवागमन कर सकते है। इस रास्ते के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्र[illegible]लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई रास्ता [illegible] अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुवि[illegible]मात्र के नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना [illegible] विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रकरण संख्या 31/2022 अनवान
अर्जनराम आदि बनाम आदराम आदि
निर्णय दिनांक 27.08.2028

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 4 पीएसबी के मु.नं. 26 के कि.नं. 5—6—15—16 प्रत्येक में 0.025 है. कि.नं. 25 में 0.013 है. पत्थर लाईन पर कुल 0.113 है. को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली कुल 0.113 है. भूमि के बदले प्रार्थीगण से वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा होने पर अप्राथीगण को भुगतान करे। गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल—दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:13 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner